

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,  
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष/25/2012-13/1300-12 दिनांक: 06/09/12

विषय-वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत संविदा पर आयुष चिकित्सक (पुरुष), आयुष चिकित्सक (महिला) तथा आयुष फार्मासिस्टों के समायोजन एवं पुनर्अनुबन्ध के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत संविदा पर आयुष चिकित्सक (पुरुष), आयुष चिकित्सक (महिला) तथा आयुष फार्मासिस्टों के समायोजन एवं पुनर्अनुबन्ध के लिये, वर्ष 2011-12 में संविदा पर कार्यरत आयुष चिकित्सक (पुरुष), आयुष चिकित्सक (महिला) तथा आयुष फार्मासिस्टों की सूची वर्ष 2012-13 में समायोजन एवं पुनर्अनुबन्ध हेतु तीन जनपदों के विकल्प के साथ इस कार्यालय द्वारा आपसे माँगी गई थी।

2. आप द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार वर्ष 2011-12 में संविदा पर कार्यरत आयुष चिकित्सक (पुरुष), आयुष चिकित्सक (महिला) तथा आयुष फार्मासिस्टों को यथा सम्भव उन्ही जनपदों में जहाँ वे वित्तीय वर्ष 2011-12 में कार्यरत थे अथवा उनके द्वारा दिये गये विकल्प के जनपदों में समायोजन कर आप के स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश के साथ सूची एन०आर०एच०एम० की वेब साइट [www.upnrhm.gov.in](http://www.upnrhm.gov.in) पर अपलोड कर दी गयी हैं।

3. इस कार्यालय द्वारा अपलोड की गयी सूची एवं आप द्वारा ई-मेल पर प्रेषित सूची में यदि कोई भिन्नता हो तो इसकी सूचना इस कार्यालय को ई-मेल [generalmanagernp@gmail.com](mailto:generalmanagernp@gmail.com) पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये।

4. वेबसाइट पर उक्तानुसार उपलब्ध सूची के अनुसार संविदा पर आयुष चिकित्सक (पुरुष), आयुष चिकित्सक (महिला) तथा आयुष फार्मासिस्टों के पुनर्अनुबन्ध से पूर्व यह सूनिश्चित कर लिया जाये कि संबन्धित आयुष चिकित्सक (पुरुष), आयुष चिकित्सक (महिला) तथा आयुष फार्मासिस्ट वर्ष 2011-12 में संविदा पर कार्यरत थे।

5. यदि किसी जनपद द्वारा प्रेषित सूची में ऐसे आयुष चिकित्सक (पुरुष), आयुष चिकित्सक (महिला) तथा आयुष फार्मासिस्ट का नाम इस कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है जो मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में कार्यरत नहीं थे, तो उनका पुनर्अनुबन्ध न किया जाये एवं उनके नाम को प्रेषित करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करते हुये सुसंग धाराओं के अन्तर्गत उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुये इस कार्यालय को अवगत कराया जाये। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित आयुष



चिकित्सक (पुरुष), आयुष चिकित्सक (महिला) तथा आयुष फार्मासिस्ट के विरुद्ध भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुये इस कार्यालय को अवगत कराया जाये।


6. यदि किसी जनपद द्वारा प्रेषित सूची में ऐसे आयुष चिकित्सक (पुरुष), आयुष चिकित्सक (महिला) तथा आयुष फार्मासिस्ट का नाम इस कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है जो वर्ष 2011-12 में कार्यरत नहीं थे तथा उनका समायोजन किसी अन्य जनपद में हो गया है तब सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा समायोजित किये गये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को इसकी सूचना तत्काल ई-मेल/फैक्स/मोबाईल द्वारा दी जाये तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को भी ई-मेल [generalmanagernp@gmail.com](mailto:generalmanagernp@gmail.com) पर तत्काल दी जाये।

7. यदि आपके जनपद में किसी आयुष चिकित्सक (पुरुष), आयुष चिकित्सक (महिला) तथा आयुष फार्मासिस्ट का समायोजन अन्य किसी जनपद से किया गया है तो उसके पूर्व तैनाती के जनपद से वर्ष 2011-12 में संविदा पर नियुक्ति की पुष्टि कराने के उपरान्त ही उनके पुनर्अनुबन्ध की कार्यवाही की जाये।

8. किसी भी स्थिति में ऐसे किसी आयुष चिकित्सक (पुरुष), आयुष चिकित्सक (महिला) तथा आयुष फार्मासिस्ट जो वित्तीय वर्ष 2011-12 में संविदा पर तैनात नहीं था, का न तो योगदान स्वीकार किया जाये और न ही पुनर्अनुबन्ध किया जाये।


उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। अनुपालन में शिथिलता के कारण उत्पन्न समस्त परिस्थितियों के लिए सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

  
(मुकेश कुमार मेश्राम)  
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०आर०एच०एम० को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन०आर०एच०एम० की वेबसाइट-[www.upnrhm.gov.in](http://www.upnrhm.gov.in) पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।



(डा० अनिल कुमार मिश्रा)  
महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं आयुष